

आर टी आई स्पीड पोस्ट
UNDER SECRETARY



VICE PRESIDENT'S SECRETARIAT
NEW DELHI - 110011
TEL: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/68/2013-14

8 मार्च 2013

श्री चन्द्र प्रकाश
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री मुकुन्द लाल विश्वकर्मा पुत्र श्री भूरेलाल विश्वकर्मा, ग्राम पुन्निया, पत्रालय खरेला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश का दिनांक 28 फरवरी 2013 का पत्र दिनांक 5 मार्च 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 61 सी 741138, 61 सी 741138 संलग्न कर पुनः अपने पूर्व आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि यह विषय उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री मुकुन्द लाल विश्वकर्मा पुत्र श्री भूरेलाल विश्वकर्मा, ग्राम पुन्निया, पत्रालय खरेला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश - कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

o/c



सूचना अधिकारी / Information Officer / सूचना अधिकारी / Information Officer

सूचना क अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना जानकारी का उपलब्ध कराने का समझ में।

आवेदक का नाम

श्री. S. H. K. ... श्री. श्री. ...

आवेदक का पता

...

आवेदन की को देना के अर्थ में ... सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना जानकारी का उपलब्ध कराने का समझ में।

सूचना प्राप्त करने का माध्यम

...

...

...

- 1- ... सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना जानकारी का उपलब्ध कराने का समझ में।

आदेश

जिला सहायक निबन्धाक सहकारी समितियों 3090, हमीरपुर में अवगत कराया है कि मुस्करा साधन सहकारी समिति में श्री प्रेमनारायण झा, कैंडर तख्त की नियुक्ति कर दिखे जाने पर समिति के प्रभारी तख्त श्री सुकुन्द लाल बिश्वकर्मा द्वारा नव नियुक्त तख्त को चार्ज हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसके कारण समिति का कार्य अवस्था हो गया है। जनसहयोग समिति हित में सहायक विकास अधिकारी। तह0। मुस्करा द्वारा मुस्करा साधन सहकारी समिति के कृषि निवेशा नोटिस नम्बर-01, समिति का कार्यालय तथा उक्त के ऊपर बना हुआ तख्त निवास दिनांक 4-8-99 को सील कर दिया गया है। अतः समिति का ताला तुड़वाकर चार्ज कराया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर उक्त समिति के सीलड किये गये ताला को तुड़वाकर नव नियुक्त तख्त श्री प्रेमनारायण झा, को चार्ज कराने हेतु चार्ज विकास अधिकारी मोदहा को अधीकृत करता हूँ तथा उन्हें निर्दिष्ट करता हूँ कि वह श्री विनोद कुमार अथवा जिला सहकारी अधिकारी मोदहा की उपस्थिति में मुस्करा साधन सहकारी समिति के सीलड ताला को तुड़वाकर (नव नियुक्त) तख्त को चार्ज कराना सुनिश्चित करें तथा चार्ज तूटी की एक प्रति जिला सहायक निबन्धाक सहकारी समितियों 3090, हमीरपुर को भी उपलब्ध करायें।

59/
जिला मजिस्ट्रेट
हमीरपुर

कार्यालय जिला अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर
पत्रांक 281/6-सह0/अधि0 दिनांक अगस्त 13/89, 99
प्रतिलिपि:- निम्न की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1:- चार्ज विकास अधिकारी मोदहा को आदेशा प्रकृतार्थ।
- 2:- श्री प्रेमनारायण झा, नव नियुक्त तख्त मुस्करा साधन सहकारी समिति पर इस आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट कि वह ताला तुड़ने के बाद उपलब्ध चार्ज लेना सुनिश्चित करें।
- 3:- अध्यक्ष मुस्करा साधन सहकारी समिति लि0।
- 4:- सहायक विकास अधिकारी। तह0। विकास चार्ज मुस्करा।
- 5:- अथवा जिला सहकारी अधिकारी मोदहा को इस आदेश के माध्यम से कि वह चार्ज विकास अधिकारी मोदहा से सम्पर्क कर उक्त कार्यवाही सम्पन्न करायें।
- 6:- जिला सहायक निबन्धाक, सहकारी समितियों 3090, हमीरपुर।

13/8
जिला मजिस्ट्रेट
हमीरपुर

my
16/8/99
B.D.O.
Mandla

नोट:- चूपया श्री मां 3090 जिलाधीन महेष्य जनपद-हमीरपुर-991 के डप पंजीकृत पत्रांक 2016 दिनांक 13-08-1999 के विशेष जानकारी हेतु इस आवश्यक महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करें की जाये। उक्त चूपया होगी।

1- महेष्य यह पंजीकृत पत्रांक श्री मां जिला अधीन निबन्धाक महेष्य एवं 0305 जनपद-हमीरपुर 3090 (श्री एवं 0 के पंजीकृत) द्वारा जनसहयोग आयोग के 2005 के अनुरोध ज्यों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपने कार्यक्षेत्र के पंजीकृत पत्रांक 066 दिनांक 26 सितम्बर 2008 को साथ संलग्न कर 12 वर्ष बाद डप के अर्थ में ज्यों के हर अधीन किया गया है।

